इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2016—पौष 2 शक 1938

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

''अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत् लाइन का विस्तार (पम्पों का ऊर्जीकरण) योजना नियम'' 2016

क्र. एफ.-23-17-2014-3-पच्चीस.— राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं.

नियम

1. **संक्षिप्त नाम-विस्तार एवं प्रारंभ.**—1.1 यह नियम अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत् लाइन का विस्तार (पम्पों का ऊर्जीकरण) योजना नियम कहे जायेंगे.

1.2 इनका विस्तार एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

1.3 ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना का उद्देश्य.**—अनुसूचित जनजातियों बस्तियों में मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित अधोसंरचना विकास पर्याप्त नहीं हुआ है वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल 1.51 करोड़ है जो कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत है. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में समुचित पेयजल प्रकाश/विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़कें/नालियों, मुख्य सड़कें, ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटों सामाजिक कार्यक्रम/समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों का आदि मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है.

राज्य आयोजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होने वाली राशि के बाद भी विभिन्न अनुसूचित जनजाति बस्तियों में अधोसंरचनात्मक विकास कार्य की आवश्यकता बनी रहती है.

इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु तथा गंदी बस्ती पर्यावरण सुधार आदि हेतु पर्याप्त धनराशि स्थानीय निकायों पास उपलब्ध नहीं रहती।

अतः राज्य शासन के द्वारा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों तथा नगरीय अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास तथा इन ग्रामों/बस्तियों की मूलभूत सुविधाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सौ से कम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/पारे/मजरे/टोलों में विद्युतीकरण , अनुसूचित जनजाति के कृषको को सिचाई सुविधा हेतु लाईन का विस्तार(पंपो का उर्जीकरण) के कार्य भी किये जाएगे।

3. परिभाषाएं:–

3.1. राज्य शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

3.2 अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य "परिशिष्ट–1" में उल्लेखित जातियों से है जिन्हें भारत शासन द्वारा राज्य के लिये अनुसूचित जनजातियों घोषित किया है.

3.3 अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण ,अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पम्पों का उर्जीकरण) योजना से तात्पर्य ऐसी बस्तियों से है जहॉ अनुसूचित जनजाति की आबादी 100 प्रतिशत से कम है। अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम में 50 प्रतिशत आबादी रखी गयी है जबकि इस नियम में 100 प्रतिशत से कम अर्थात 50 प्रतिशत से कम जनसंख्या वाली बस्तियॉ भी पात्र हो जायेगी।

3.4 अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण ,अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पम्पों का उर्जीकरण) योजना से तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले संबधित परिवार से है। इसका आशय स्पष्ट नहीं है गरीबी रेखा के उपर वाले अनुसूचित जनजाति परिवार निवास करते है तो क्या वह अपात्र हो जायेगे.

3.5 "कलेक्टर/जिलाध्यक्ष" तात्पर्य जिला कलेक्टर से है.

3.6 "जिला पंचायत" से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जिला पंचायत से है।

3.7 "जनपद पंचायत" से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित जनपद पंचायत से है.

3.8 "ग्राम पंचायत" से तात्पर्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के तहत गठित ग्राम पंचायत से है.

3.9 "स्थानीय निकाय(नगरीय क्षेत्र)से तात्पर्य नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 मध्ययप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत गठित नगर पालिका निगम , नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत आदि स्थानीय निकायो से है ।

3.10 इन नियमों के प्रयोजन के लिए विद्युत लाईन के विस्तार के लिए विभागीय शिक्षण संस्थाएँ (छात्रावास एवं विद्यालय) अनुसूचित जनजाति बस्ती मान्य की जायेगी तथा वहां भी विद्युत लाईन का विस्तार कार्य किया जा सकेगा।

3.11 अनुसूचित जनजाति कृषक से तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे–जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवार से है।

4. अनुसूचित अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण ,अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पम्पों का उर्जीकरण) योजना अनुसार चिन्हांकन एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों का चयन–

4.1 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण ,अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सिचाई सुविधा हेतु विद्युत लाइन का विस्तार (पम्पों का उर्जीकरण) योजना अनुसार का चिन्हांकन निर्धारित संलग्न प्रारूप "परिशिष्ट–2" में किया जायेगा. अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के घटते अनुक्रम में सूची तैयार की जावेगी. यह सूची जिले के लिये अनिवार्य प्राथमिकता क्रम में होगी. उपलब्ध राशि से कार्य स्वीकृत करते समय सबसे अधिक प्रतिशत वाली बस्तियों में प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किये जायेगें लेकिन किसी भी दशा में बिना शासन की अनुमति के 40 प्रतिशत से कम आबादी वाले ग्रामों में कार्य स्वीकृति नही किये जायेगें. प्रत्येक जिले में तैयार बस्तियों की सूची का अनुमोदन राज्य शासन से कराया जायेगा. इसी सूची के आधार पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना मे भी कार्य स्वीकृत किये जा सकेगे।

4.2 विभागीय अनुसूचित जनजाति प्री–मैट्रिक तथा पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास, आश्रम तथा अन्य आवासीय संस्थाओ को भी इन नियमों के तहत मान्यता होगी.

4.3 जिला स्तर पर छोटी अनुसूचित जनजाति बसाहटों जिनकी आबादी 100 तक है, की सूची प्रतिवर्ष विभाग के जिला अधिकारी के कार्यालय में विकासखण्डवार उस वर्ग की जनसंख्या के घटते क्रम में अद्यतन की जायेगी तथा संधारित सूची का अनुमोदन कंडिका 4.5 अनुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा.

4.4 गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के कृषको के आवेदन , उनके खेतों में सिंचाई सुविधा हेतु विद्युत लाईन के विस्तार/पंपों के उर्जीकरण हेतु जिला स्तर पर प्राप्त किये जायेंगे, प्राप्त आवेदनों को प्रथम आवे प्रथम पावे

क्रम में विकास खण्डवार सूची तैयार किये जायेगी जिसका अनुमोदन कंडिका 4.5 में उल्लेखित समिति द्वारा किया जायेगा.

4.5 जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार होगी:–

कलेक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
विद्युत वितरण कंपनी के जिला स्तरीय	सदस्य
अधिकारी(जी.एम/डी.जी.एम)	सदस्य
सहायक आयुक्त/जिला संयोजक	सदस्य सचिव

5. कार्ययोजना तैयार करना–

5.1 यह योजना अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों एवं नगरीय अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के सुधार एवं विकास हेतु प्रचलित योजनाओं की अनुपूरक योजना होगी. योजनान्तर्गत शासन के विभिन्न विकास विभागों, मॉग संख्या 41 में योजनांतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग पहले किया जायेगा तथा जहां राशि कम पड़ती है एवं विकास विभागों के मद में कोई प्रावधान न किया गया हो तभी इस योजनांतर्गत राशि का उपयोग किया जाएगा.

5.2 योजनातंर्गत यथा संभव ऐसी योजना में राशि व्यय की जायेगी जो वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण की जा सके.

5.3 स्वीकृत कार्यो पर लागत का 05 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज संबधी विद्युत वितरण कंपनी को देय होगा.

5.4 बस्तियों में कार्य आवश्यकता के अनुरूप कार्य की वास्तविक लागत तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित होगी किन्तु किसी भी दशा में कार्य की लागत रूपये 10.00 लाख से अधिक होती है तो इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 से प्राप्त की जायेगी.

5.5 उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधाये सर्वप्रथम उन अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों/मजरे/टोलो/पारों तथा नगरीय बस्तियों में ऐसे वार्डो/मोहल्ले/कालोनी में ली जावेगी जिनमें इन सुविधाओ का पूर्ण रूप से अभाव हो. उदाहरण के लिये, जिले की अनुसूचित जनजाति की बस्ती जहां अनुसूचित जनजातियों जनसंख्या के आधार पर

प्राथमिकता क्रम में आती है किन्तु वहां मूलभूत कार्य पहले से संपादित कर लिये गये हो तो, उसके बाद की प्राथमिकता की बस्ती का चयन करना होगा जहॉ मूलभूत कार्य नही किये गये हो और उनकी आवश्यकता हो.

5.6 अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विकास में कम्पोजिट प्लान(समेकित कार्ययोजना) हेतु प्राथमिकता दी जावेगी. अर्थात ऐसे कार्यक्रम/कार्ययोजना पहले ली जावेगी, जिससे किसी अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम के सम्पूर्ण विकास की योजना तैयार की गई है.

5.7 आवंटन का प्रदाय –विभागीय अधिकारी कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा राशि संबधित विद्युत वितरण कंपनी को उनके बैंक खाते में राशि अंतरित करेगा.

6. कार्यो का निर्धारण– सौ से कम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले बाहुल्य ग्रामों/पारे/मजरे/टोलो में विद्युतीकरण कार्य भी किये जायेगें।

6.1 योजनांतर्गत प्राथमिकता क्रम में निम्नानुसार कार्य लिये जायेगेः

क्र.	कार्य का नाम
1	आंतरिक सडक/सीसी. रोड का निर्माण(अनुसूचित जनजाति बस्ती/छात्रावास/आश्रम)
2.	मुख्य संडक से अनुसूचित जनजाति बस्तियों/विभागीय आवासीय संस्थाओ को जोडने वाली सडक/पुलिया/रपटों का निर्माण
3	जल–मल निकासी हेतु पक्की नाली का निर्माण
4.	छात्रावास आश्रमों में अतिरिक्त शौचालय स्नान गृह निर्माण
5.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों में बाउण्ड्रीवाल एवं अतिरिक्त कक्षो का निर्माण
6.	स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प/नलकूप खनन सबमर्सिबल पम्प सहित(अनुसूचित जनजाति बस्ती/छात्रावासों आश्रमों में) /हैण्डपम्प के आसपास एरिया डेवलपमेन्ट
7.	सामुदायिक/मंगल भवनो का निर्माण (निर्धारित ले आउट अनुसार)

8. सार्वजनिक चबुतरा निर्माण

9. अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण

10. योजनान्तर्गत सम्पन्न कार्यो को संबधित विद्युत वितरण कंपनी को सौपने तथा उसका रखरखाव/संधारण संबधित कंपनी के द्वारा इस हेतु स्थापित नियमो के अनुसार किया जाएगा.

7. प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकारः–

7.1 नियम 6.1 में उल्लेखित कार्यो हेतु वास्तविक लागत के आधार पर अधिकतम रूपये 10.00 लाख सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी जावेगी. यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण अधिकतम सीमा से अधिक राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता हो तो आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 द्वारा जिले के कलेक्टर के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृति दी जा सकेगी.

7.2 विद्युतीकरण ,पंपों के उर्जीकरण के कार्यो प्रशासकीय स्वीकृति कंडिका 4.5 में उल्लेखित समिति के अनुमोदन उपरांत कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के विकास कार्यो हेतु प्रदत अधिकारों की सीमा में जारी की जाएगी. प्रशासकीय स्वीकृति मे विद्युत लाइन में कार्य पूर्ण होने के बाद संभावित कनेक्शन चार्ज की राशि कंपनी के डिमांड नोट के आधार पर शामिल की जाए,

8. तकनीकी स्वीकृति के अधिकारः–

8.1 इस योजना के तहत स्वीकृत कार्यो के तकनीकी स्वीकृति के अधिकार–डेलिगेशन ऑफ फायनेंशियल पावर वाल्यूम–2 के अनुसार होगे.

8.2 हितग्राही चयन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कार्य प्राक्कलन तैयार कर जिला अधिकारी द्वारा उनको प्रदत अधिकारों की सीमा में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी.

9. निर्माण कार्यो का निष्पादनः–

9.1 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों में इस योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन ठीक उसी प्रकार किया जावेगा जिस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच परमेश्वर योजना के मार्गदर्शी सिंद्धांतो के अनुरूप तथा निर्माण विभागों के मेन्युअल में निर्धारित किया गया है.

9.2 बस्तियों में आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य होगें. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के तहत् ग्रामों में तथा नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओ के तहत शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों बस्तियों में निर्माण कार्य कराये

जायेगे. यदि इन विभागों से किसी भी तरह धनराशि प्राप्त न होने की संभावना हो तो इस मद की राशि से कार्य लिये जायेगे। ।

9.3 निर्माण एजेन्सी का चयन कलेक्टर द्वारा कार्य की प्रकृति के आधार पर किया जायेगा तथा कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी. राज्य शासन चाहे तो तृतीय पक्ष स्वतंत मूल्याकंन करा सकता है.

9.4 कार्य संधारण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी।

9.5 विद्युतीकरण/पंपो के उर्जीकरण कार्यो का निष्पादन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनके नियमों के अनुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जायेगा.

10. आवटन का प्रदायः–

10.1 अनूसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के विकास हेतु कार्य कराने हेतु प्रति वर्ष बजट में प्रावधानित राशि का 80 प्रतिशत आवंटन जिलों की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा संबधित जिला कलेक्टरो को आवंटित किया जायेगा, तथा बजट प्रावधन की शेष 20 प्रतिशत राशि शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगी जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणायें एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा.

10.2 निर्माण एजेन्सियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराने के पूर्व "परिशिष्ट –3" प्रारूप में एक करार(अनुबंध) निष्पादित कराया जावेगा.

10.3 यदि किसी निर्माण एजेन्सी, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों ने उसे पूर्व में स्वीकृत राशि का उपयोग अनुबंध की शर्तो के अनुसार नही किया है तो आगामी वर्ष में नये कार्यो हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी.

10.4 विद्युतीकरण/पंपो के उर्जीकरण कार्यो हेतु आवंटन का प्रदाय जिले की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर कलेक्टर को किया जायेगा. विभागीय अधिकारी कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को उनके बैंक खाते में राशि अंतरित करेगें.

11. कार्य पूर्णतः एवं धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रः–

11.1 इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति बस्तीयों के तहत स्वीकृत कार्यो की पूर्णता तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबधित निर्माण एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के प्रति हस्ताक्षर से उपलब्ध कराया जायेगा.

11.2 निर्माण कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण कराने आवश्यक होगें जिस वर्ष में वे स्वीकृत किये गये है. विशेष परिस्थिति में कलेक्टर कार्य पूर्ण होने की अवधि में वृद्धि कर सकेगें किन्तु अवधि में वृद्धि करते समय निर्माण लागत बढने के कारण अतिरिक्त धनराशि कदापि स्वीकृत नही की जायेगी.

11.3 विद्युतीकरण/पंपो के उर्जीकरण कार्यो हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में कंपनी के जी.एम/डी.जी.एम. द्वारा विभागीय जिला अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगे. परीक्षण उपरांत कलेक्टर के प्रतिहस्ताक्षर से संबधित विभागाध्यक्ष/महालेखाकार म0प्र0 प्रेषित किये जायेगे.

12. योजना के तहत स्वीकृत कार्यो का लेखाः–

12.1 योजना के अंतर्गत वर्ष में कार्यो का लेखा–जोखा रखने हेतु संलग्न" परिशिष्ट –4 " के अनुसार पंजी का संधारण सहायक आयुक्त/जिला संयोजक , आदिम जाति कल्याण कार्यालय के अतिरिक्त संबधित निर्माण एजेन्सी/स्थानीय निकाय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जायेगा.

12.2 विद्युतीकरण/पंपो के उर्जीकरण कार्यो हेतु स्वीकृत कार्यो का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विभागीय जिला अधिकारियो के कार्यालय एवं विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में प्रतिवर्ष संधारित किया जायेगा.

13. योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यो का हस्तातरण एवं रख–रखावः–

13.1 इस योजना के अंतर्गत निर्मित कराये जाने वाले निर्माण कार्यो का हस्तांतरण संबधित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/विभाग को करने का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा तथा संबंधित निकाय/विभाग योजनांतर्गत निर्मित किये जाने वाले कार्यो का रख–रखाव नियमानुसार करेगे.

13.2. विद्युतीकरण/पंपों के उर्जीकरण कार्यो हेतु सम्पन्न कार्यो को संबधित विद्युत कंपनी को सौपा जायेगा तथा उसका रख–रखाव/संधारण संबंधित कंपनी द्वारा इस हेतु स्थापित नियमों के अनुसार किया जायेगा.

14. अनुश्रवंण एवं मूल्यांकनः–

14.1 अनुसूचित जनजाति विकास संचालन के अनुसंधान/मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समय–समय पर योजना का मूल्यांकन किया जावेगा.

15. निरसन–एतदद्द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम 2014 एवं इस नियम के संबध में समय–समय पर जारी संशोधन संबधी समस्त आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते है जो कार्य नियम 2014 के अधीन प्रारंभ किए गए थे उन्हें उसी नियमों के अनुसार पूर्ण कराया जायेगा.

सुषमा शर्मा, उपसचिव.

परिशिष्ट –"एक"

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियॉ(संशोधन 1976)

1. अगरिया
2. आन्ध्य
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिया, भुंईहार, भूमिंया, भूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडी
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया,
8. भील, मीना
9. भुंजिया
10. बिआर, बीआर,
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गदावा, गदबा
16. गौंड, अरख, आर्रख, अगरिया, असुर, बडी मारिया, बडा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बायसनहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा गट्टी, गैता, गौंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोध्या, मोगिया, मोंध्या, मुडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, बड़े–मारिया, वडेमाडिया, दरोई,
17. हलबा, हलबी
18 कमार

19. कोरकू

20 कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री,

21. कीर (भोपाल,रायसेन,और सीहोर)

22. खैरवार, कोदर

23. खरिया

24. कोंध, खोंड, कांघ

25 कील

26. कोलम

27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंडिया

28. कोरवा, कोडाकू

29 माझी

30. मझवार

31. मवासी

32 मीना(विदिशा जिले के सिरोंज सब–डिवीजन में)

33. मुंडा

34. नगेसिया, नगासिया,

35. उरांव, धनका, धनगड़

36. परिका, (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, और टीकमगढ़ जिलो में)

37. पाव

38. परधान, पथारी, सरोती,

39. पारधी, (भोपाल,रायसेन,और सीहोर जिलों में)

40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर, टाकिया (1. बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी, और सरगुजा जिलों में 2. बालाघाट, जिले की बैहर, तहसील में 3.बैतूल जिले के बैतूल और भेंसदेही तहसीलों में 4. बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटधोरा तहसीलों में

5. दुर्ग जिले की दुर्ग और संजरी तहसीलों में 6. राजनांदगांव जिले के चौकी मानपुर और महाला राजस्व निरीक्षको के क्षेत्रों में 7. जबलपुर जिले के मुरवाग , पाटन और सीहोर तहसीलों में 8. होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों में और नरसिंहपुर जिले में 9.खण्डवा जिले के हरसूद तहसील में 10. रायपुर जिले की बिन्द्र नवागढ़, धमतरी, और महासमुन्द तहसीलों मे)

41. परजा

42 सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सोंसिया, सोर

43. साओता, सौंता

44. सौर

45. सावर, सवरा,

46 सौंर

परिशिष्ट–2

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्ती की प्राथमिकता सूची

जिले का नाम .....

ग्रामीण क्षेत्र

क्र0	ग्राम का नाम/ बस्ती का नाम	ग्राम पंचायत	विकासखण्ड का नाम	बस्ती ग्राम में अनु0 जनजाति के परिवारों की संख्या	अनु0जनजाति की आबादी का प्रतिशत	रिमार्क (बस्ती में पूर्व से सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य की प्राथमिकता सूची

जिले का नाम .....

शहरी क्षेत्र

क्र.	मोहल्ले का नाम	नगर निगम/नगर पालिका/ नगर पंचायत का नाम	मोहल्ले में अनु. जनजाति के परिवारों की संख्या	मोहल्ले में अनु. जनजाति की आबादी का प्रतिशत	रिमार्क (बस्ती में पूर्व से सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

परिशिष्ट–3

(नियम 10.2 देखिये)

अनुबंध–पत्र

1. यह अनुबंध आज दिनांक .....को मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाध्यक्ष .....और .....ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नोटोफाईल एरिया कमेटी/नगर निगम.....तहसील..... के मध्य किया जाता है।

2. राज्य शासन की ओर से जिलाध्यक्ष.....द्वारा उनके कार्यालयीन आदेश कमांक .....दिनांक.....के द्वारा प्राप्तकर्ता को ..... कार्य की कुल अनुमानित लागत के निर्माण हेतु रूपये .....(अक्षरों में ....) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा राशि रूपये ..... प्राप्तकर्ता को उक्त निर्माण कार्य पर व्यय करने के लिए अग्रिम रूप से देना स्वीकार किया है और प्राप्तकर्ता उक्त धनराशि को उपयुक्त आशय हेतु निम्न अनुबंधों एवं प्रतिबंधों पर लेने के लिए सहमत है।

3. (अ) (प्राप्तिकर्ता जिलाध्यक्ष .....के संदर्भित आदेश पत्र में दशार्ये स्थान पर ..... का निर्माण कार्य जिलाध्यक्ष .....द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन एवं मानचित्र तथा प्रशासकीय स्वीकृति के अंतर्गत और आधार पर एवं समय–सीमा में करेगा।

(ब) प्राप्तिकर्ता, प्रदानकर्ता द्वारा स्वीकृति डिजाईन एवं विस्तृत विवरण में कोई संशोधन एवं परिवर्तन बिना प्रदानकर्ता की स्वीकृति के नहीं करेगा और प्राप्त राशि का उपयोग मानचित्र में दर्शाये कार्यों के निर्माण हेतु करेगा।

4. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य राशि प्राप्त होने में 6 माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा. यदि इस अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं किया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटाई जावेगी।

5. प्राप्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ संपादित किया जावेगा तथा मूल्यांकन के मान से निर्माण कार्य यदि कम राशि का हुआ तो शेष राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ प्राप्तिकर्ता प्रदानकर्ता को एक माह के भीतर लौटायेगा.

6. यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई राशि या उसकी आंशिक राशि का कोई दुरूपयोग पाया गया तो प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रदानकर्ता की ऐसी राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज के एक माह के भीतर लौटाई जायेगी.

7. प्राप्तिकर्ता उक्त निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की पाई जाने वाली हानि एवं क्षति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा ऐसी परिस्थिति में होने वाला अतिरिक्त व्यय प्राप्तिकर्ता के द्वारा वहन किया जायेगा.

8. निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रदानकर्ता तथा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी या मंत्रियों द्वारा किया जा सकेगा. यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त निर्माण कार्य में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार पूर्ति की जानी होगी.

9. प्राप्तिकर्ता उपरोक्त निर्माण कार्य को लेख पृथक तथा नियमानुसार रखेगा तथा उपरोक्त निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रतिवेदन मासिक रूप से प्रतिमाह तारीख 10 तक प्रदान कर्ता को प्रेषित करेगा.

10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरंत पश्चात एक माह के भीतर प्राप्तिकर्ता कार्य का लेखा जोखा, मूल्यांकन प्रमाण–पत्र पूर्णतः प्रमाण–पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रदानकर्ता को प्रस्तुत करेगा.

11. प्राप्तिकर्ता के हिसाब, लेखा–जोखा की जांच जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित प्रतिनिधि आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी संचालनालय कोष एवं लेखा/महालेखाकार, मध्यप्रदेश आयुक्त, आदिवासी विकास के ऑडिट दल द्वारा की जा सकेगी.

12. यदि अनुबंध में या इसमें अंतःदृष्टि किन्हीं भी उपबंधों या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में इसमें संबंधित पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे आयुक्त आदिवासी विकास की मध्यस्थता के लिये संदर्भित किया जावेगा जिस पर उनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा.

13. प्राप्तिकर्ता द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत हस्तांतरण प्राप्त किया जावेगा तथा प्राप्ति रसीद प्रदानकर्ता को दी जावेगी तथा उक्त निर्मित कार्य की भली भांति रख–रखाव संरक्षण तथा यदि कोई विस्तार आवश्यक हुआ तो स्वतः अपने स्त्रोतों से किया जावेगा.

14. यह अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर दिनांक से लेकर जब तक उपरोक्त कार्य शर्तो के अनुसार पूर्ण नहीं होता तथा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसके पूर्ण निपटारा होने तक प्रभावशील होगा.

15. इस लिखान का देय मुद्रा/पंजीयन शुल्क का भुगतान प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जावेगा.

16. इसके साक्ष स्वरूप इनसे संबंधित पत्रों में अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी तारीख और वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये है:–

साक्षीगण

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

(नियम 12.1)

परिशिष्ट– 4

अनुसूचित जनजाति बस्ती सघन विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो की पंजी

जिला स्तर पर रखी जाने वाली पंजी

जिला ..... स्वीकृत वर्ष .....

क.	कार्य का नाम	स्थान/मोहल्ला पारा	ग्राम/नगर	वि.ख.	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्राक्कलन की राशि	स्वीकृत राशि	जिला कार्यालय का कार्य करने वाली स्वीकृत आदेश क0 संस्था/ एजेन्सी दिनांक	
(7)	(8)	(9)	(10)

कार्य प्रारंभ होने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पर हुए व्यय की राशि	कार्य के मूल्यांकन की राशि
(11)	(12)	(13)	(14)

राशि	महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण–पत्र भेजने का पत्र क्र. / दि. एवं राशि		महालेखाकार को पूर्णता प्रमाण– पत्र भेजने का पत्र क्र. / दि. एवं राशि	
	पं.क्र.	दिनांक	पत्र क्र./	राशि दिनांक
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

यदि राशि अवशेष रही हो तो उस ट्रेजरी में रिफंड करने की		कार्य पूर्ण होने के उपरांत किस संस्था को सौंपा गया	हस्तातरण ग्रहिता का	
चालान क्र.	दिनांक	राशि	नाम	पदनाम
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर की तिथि	रिमार्क
(25)	(26)	(27)

(प्रत्येक कार्य के लिए अलग पन्ना रखा जावें)...

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.